



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-20082026-275600
CG-MP-E-20082026-275600

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4372]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2026/श्रावण 26, 1948

No. 4372]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2026/SHRAVAN 26, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम मध्य रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जबलपुर, 17 अगस्त, 2026

का.आ. 4552(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (रेल संशोधित अधिनियम, 2008), की धारा 20 (च) के खण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के भारत का राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तर प्रदेश राज्य के, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित जिले व स्तम्भ (4) उल्लेखित तहसील में विशेष रेल परियोजना “(सतना—मानिकपुर खण्ड: मारकुंडी – मानिकपुर स्टेशनों के मध्य कि०मी० 1254/18–20 पर, समपार फाटक संख्या – 403 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य)” के संबंध में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आर्बिट्रटर के रूप में नियुक्त करती है।

सारणी

क्रम. सं.	आर्बीट्रेटर	जिला	तहसील
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कलेक्टर	चित्रकूट (उ०प्र०)	मानिकपुर

[फा. सं. WCR-JBPC0ENGC(MICS)/55/2025-O/oDyCE/C-II/STA/403/20F(6)]

जोन सिंह मीना, मुख्य अभियंता/नि-IV/मुख्यालय

MINISTRY OF RAILWAYS

[West Central Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jabalpur, the 17th August, 2026

S.O. 4552(E).— In exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20 F of the Railway Act, 1989 (Railway Amendment Act, 2008), the Central Government, hereby appoints the **Arbitrator** mentioned in column (2) of the table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, in respect of the **Special Railway Project** of “(Satna - Mankipur section: Construction of ROB in lieu of Level Crossing No. 403 at Km 1254/18-20 between Markundi - Manikpur stations)” in the state of **Uttar Pradesh**, relating to the district mentioned in column (3) & Tehsil mentioned in column (4) of the table given below for the purpose of execution, maintenance, management and operation of such **Special Railway Project**.

TABLE

Sr. No.	Arbitrator	District	Tehsil
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Collector	Chitrakoot (U.P.)	Manikpur

[F. No. WCR-JBPC0ENGC(MICS)/55/2025-O/oDyCE/C-II/STA/403/20F(6)]

JON SINGH MEENA, Chief Engineer/Construction-IV/HQ